भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ.सं.: आईआरडीएआई/रीइन्स/सीआईआर/विविध/114/08/2026 दिनांकः 28 अगस्त 2026
Ref. No.: IRDAI/REINS/CIR/MISC/114/08/2026 Date: 28th August, 2026

परिपत्र
Circular

प्रति / To,
सभी बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता/लाड्स इंडिया और उनके घटकों सहित विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाएँ (एफआरबीएस)
All Insurers/Reinsurers/Foreign Reinsurer's Branches (FRBs) including Lloyd's India and its constituents

विषयः पुनर्बीमा विनियामक विवरणियों और अन्य पुनर्बीमा कार्यात्मकताओं का समन्वित व्यवसाय वैश्लेषिकी प्लेटफार्म (बीएपी) में अंतरण
Subject: Migration of Reinsurance Regulatory Returns and Other Reinsurance Functionalities to the Integrated Business Analytics Platform (BAP)

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने विनियामक रिपोर्टिंग और संबंधित पुनर्बीमा कार्यात्मकताओं के लिए एक समन्वित, सरल और कारगर तथा संवर्धित प्लेटफार्म को सुसाध्य बनाने के लिए अपने व्यवसाय वैश्लेषिकी प्लेटफार्म (बीएपी) का कोटि-उन्नयन (अपग्रेडेशन) किया है।

2. उपर्युक्त पहल के भाग के रूप में, पुनर्बीमा विनियामक विवरणियाँ, पुनर्बीमा सारांश फार्मेट (अग्रिम और अंतिम), और सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) को फाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) के निर्गम के लिए आवेदन अपग्रेड किये गये बीएपी प्लेटफार्म को अंतरित किये गये हैं।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, पुनर्बीमाकर्ताओं और एफआरबीएस के अध्यक्षों/सीईओ की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए आवेदन भी अपग्रेड किये गये बीएपी प्लेटफार्म में समन्वित किये गये हैं।

4. तदनुसार, उपर्युक्त पुनर्बीमा विनियामक विवरणियाँ, पुनर्बीमा सारांश फार्मेट, सीबीआरएस और अन्य पुनर्बीमा कार्यात्मकताओं के लिए एफआरएन आवेदन उपयोग के लिए उक्त बीएपी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं।

5. सभी संस्थाएँ समन्वित पुनर्बीमा बीएपी पोर्टल पर प्रस्तुतीकरण नीचे विनिर्दिष्ट किये अनुसार करेंगीः
   (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 से पुनर्बीमा विनियामक विवरणियाँ।
   (ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 से कारपोरेट अभिशासन विवरणियाँ।
   (ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 से समूह (पूल) प्रशासक विवरणियाँ।
   (घ) वित्तीय वर्ष 2026-27 से पुनर्बीमा कार्यक्रम सारांश विवरणियाँ अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम सारांश विवरणियाँ।
   (ङ) अनुमोदनों के लिए अनुरोध – सीईओ/केएमपी की नियुक्ति और पारिश्रमिक, सीबीआर के लिए एफआरएन आदि।

6. पुनर्बीमा से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश और अनुदेश सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उक्त बीएपी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

1. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has undertaken the upgradation of its Business Analytics Platform (BAP) to facilitate an integrated, streamlined and enhanced platform for regulatory reporting and related Reinsurance functionalities.

2. As part of the aforesaid initiative, the Reinsurance regulatory returns**,** Reinsurance Summary Formats (Advance and Final), and applications for issuance of File Reference Number (FRN) to Cross Border Reinsurers (CBRs) have been migrated to the upgraded BAP platform.

3. In addition to the above, applications for the appointment and remuneration of the Chairperson/CEO of Reinsurers and FRBs have also been integrated into the upgraded BAP platform.

4. Accordingly, the aforesaid Reinsurance regulatory returns, Reinsurance Summary Formats, FRN applications for CBRs and other Reinsurance functionalities are now available for use through the BAP portal.

5. All entities shall make submissions on the the integrated Reinsurance BAP portal as specified below:
   (a) Reinsurance Regulatory Returns from FY 2024–25.
   (b) Corporate Governance Returns from FY 2025–26.
   (c) Pool Administrator Returns from FY 2024–25.
   (d) Reinsurance Programme Summary Returns Final Reinsurance Programme Summary Returns from FY 2026–27.
   (e) Request for approvals-appointment & remuneration of CEOs/KMPs, FRN for CBRs etc

6. The operational guidelines and instructions for the various functions relating to reinsurance shall be available on the BAP portal for all the users.

7. This is issued with the approval of the Competent Authority.

हस्ता./- / Sd/-
(शार्दूल आदमाने / Shardul Admane)
विभाग-प्रमुख (पुनर्बीमा) / HoD(Reinsurance)